

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर
कमांक/नर्सिंग/सामान्य-नर्स-2/नियम/स्थाई/चूरु/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक नर्सिंग/नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.16 एवं कमांक नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013)/2016/230 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	मंजीत सिंह	11.01.84	चूरु	29.08.16	28.08.18	29.08.18
2	बुल्ली कुमारी	15.07.88	चूरु	30.08.16	29.08.18	30.08.18
3	रजनीश कुमार	06.02.80	चूरु	09.09.16	08.09.18	09.09.18
4	ललिता तंवर	10.09.91	चूरु	12.02.16	08.03.18	09.03.18

क्रम संख्या (4) पर अंकित ललिता तंवर नर्स-2 द्वारा परिवीक्षा काल में 55 दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक F.1 (2) FD (RULES)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की गई है।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 17/1/19

कमांक/नर्सिंग/सामान्य-नर्स-2/नियम/स्थाई/चूरु/2018/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़-चूरु।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर, रूम मुख्यालय को विभागीय वैंबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।